

—प्रेस नोट —
जनपद मीरजापुर ।

दिनांक: 14.11.2021

थाना मडिहान पुलिस द्वारा पिता की गैर इरादन हत्या करने वाला पुत्र गिरफ्तार —

ज्ञातव्य हो कि दिनांक 13.11.2021 को समय करीब 23.00 बजे थाना मडिहान क्षेत्रान्तर्गत ग्राम चिकसी गढ़वां निवासी भगवान पुत्र बुद्धू कोल उम्र करीब 80 वर्ष को उनके पुत्र अवधू कोल उम्र करीब 40 वर्ष द्वारा लाठी से हाथ व कंधे पर प्रहार कर घायल कर दिया गया , जिनकी इलाज हेतु ले जाते समय रास्ते में ही मृत्यु हो गयी । पिता पुत्र में खेत बेचने को लेकर आपस में झगड़ा हो गया था । आज दिनांक 14.11.2021 को सुबह सूचना प्राप्त होने पर प्र0नि0 मडिहान द्वारा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर मृतक के शव को कब्जे में लिया गया । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मडिहान पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की गई । उक्त अभियोग की विवेचना के क्रम में उ0नि0 रामनिवास कुशवाहा चौकी प्रभारी पटेहरा मय हमराह हे0का0 राकेश सरोज , का0 प्रदीप कुमार द्वारा अभियुक्त अवधू कोल पुत्र भगवान कोल निवासी चिकसी गढ़वां थाना मडिहान मीरजापुर को उसके घर से गिरफ्तार कर आलाकत्ल डण्डा बरामद किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए मा0न्यायालय/जेल भेजा गया ।

